

फार्म  
अचल संपत्ति विवरणका वर्ष 2013

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष \_\_\_\_\_

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम शैलेन्द्र कुमार कुवला 2. वर्तमान धारित पद कायब. सहा. श्रेणी-दो 3. कार्यालय का नाम मु.स.व. ग्रामियता (कानून) एच.डी. एवं  
4. वर्तमान वेतन रु. 23450 + 3800 ग्रेड पें 5. भविष्य निधि क्रमांक 23340904 6. कर्मचारी संख्या 81971556

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1. रामनगर (रामपुर) जबलपुर	घर	-	रु. 12 लाख	स्वयं	मंडल में अर्जन लोक वर्ष 1996 में बनवाया।		
2. ग्राम ममशेरा, जबलपुर	-	2080 कापूर	रु. 50 हजार	स्वयं	वर्ष 2002 में स्वयं मंडल से खरीदी रु. 50 हजार में।		
3. रामनगर (रामपुर) जबलपुर	-	1020 कापूर	रु. 7 लाख	पत्नी	वर्ष 2011 में श्री जगदीश पत्नी से बंधक से अर्जन सीपीएफ एवं एन.ए.ए.डी से अर्जित किया गया।		

हस्ताक्षर [Signature]  
नाम शैलेन्द्र कुमार कुवला  
पद कायब. सहा. श्रेणी-दो

\* जहां लागू न हो काट दीजिए  
\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए  
\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी—मंडल द्वारा ग्राह्य स.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।